दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) 1188/2014

निर्णय की तिथि: 21 फरवरी, 2014

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य

..... याचीगण

द्वारा: श्री महमूद प्राचा, एसएलसी के अधिवक्तागण श्री सुमित बब्बर और श्री साहिल एस. चौहान।

बनाम

राम किशोर एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्र-2 के अधिवक्ता श्री ए.पी.सिंह

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>
<u>सि.वि.सं.2481/2014 (छूट के लिए)</u>

केवल अपवादों के अधीन छूट की अनुमति है।

आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या.(सि) 1188/2014 और सि.वि.सं. 2480/2014 (रोक के लिए)</u>

1. रिट याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 26 नवंबर, 2013 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मू.अ. संख्या 2047/2012 को स्वीकार किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 15 नवंबर, 2011 के आदेश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 9 मई, 2012 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जिसके तहत प्रत्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी पर निम्नलिखित आरोप के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी:

> "उक्त श्री राम किशोर ने कैफेटेरिया विभाग एम्स में मसालची/बेयरर के रूप में कार्य करते हुए गैस मैनिफोल्ड रूम से दो गैस सिलेंडर चुरा लिए और दिनांक 23.07.2006 को रात्रि 8.30 बजे से 9.00 बजे के बीच तिपहिया वाहन (ऑटो रिक्शा) से ले गए।
>
> इस प्रकार श्री राम किशोर घोर कदाचार, दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं और वे पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे हैं और उन्होंने संस्थान के एक कर्मचारी के लिए अशोभनीय तरीके से कार्य किया है; इस प्रकार संस्थान के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (1) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया गया है।"

3. प्रत्यर्थी ने 23 जून, 2008 को अपने उत्तर में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया। यह बताया गया कि दिनांक 7 जनवरी, 2008 के

आरोप पत्र से पहले, याचिकाकर्ता ने दिनांक 11 दिसंबर, 2006 को एक आरोप ज्ञापन जारी किया था जिसमें समान आरोप थे, जिनका उसने दिनांक 22 दिसंबर, 2006 के उत्तर में खंडन किया था और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4. हालाँकि, जांच अधिकारी ने 5 अगस्त, 2008 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि आरोपी अधिकारी ने आरोप को स्वीकार कर लिया है और इसलिए यह सिद्ध हो गया है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन साल बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 15 नवंबर, 2011 को एक आदेश पारित किया जिसमें रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और प्रत्यर्थी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया। उनकी 14 दिसम्बर, 2011 की अपील को 9 मई, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ मू.अ.सं.2047/2013 के माध्यम से अपने विरुद्ध आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि जांच अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं था तथा 23 जून, 2008 के पत्र को गलत तरीके से उनकी ओर से अपराध स्वीकारोक्ति मान लिया गया था। याचिकाकर्ता के रुख को देखते हुए, हम 23 जून, 2008 के पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें प्रत्यर्थी ने इस प्रकार कहा है:

"सेवा में,
श्री जाँच अधिकारी
एम्स

विषय:- सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत श्री राम किशोर, मसालची/बेयरर के खिलाफ विभागीय जांच।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री आर.एस. रावत, सुरक्षा अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से प्राप्त पत्र संख्या एफ. सुरक्षा/जून, 2008 दिनांक 12 जून, 2008 के संदर्भ में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं 23.7.2006 को रात्रि 9 बजे तक उपस्थित था। श्री प्रेम सिंह ने मुझे किचन गेट (निकास द्वार) पर ऑटो रिक्शा लाने को कहा। मैं बहुत ज्यादा शराब के नशे में था और श्री प्रेम सिंह ने मुझे दो एलपीजी सिलेंडर ऑटो रिक्शा में लोड करने में मदद करने के लिए कहा। चूंकि मैं शराब के नशे में था, इसलिए मैंने गैस मैनिफोल्ड रूम से दो एलपीजी सिलेंडर ऑटो रिक्शा में लोड किए और मैंने दो सिलेंडर श्री प्रेम लाल के निवास स्थान अर्थात ए-77, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली पर उतार दिए।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि मैंने गलती की है और मैं आपके समक्ष अनुरोध करता हूं कि मुझे इस बार माफ कर दिया जाए और मैं यह भी कहता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी गतिविधियों को नहीं दोहराऊंगा, इसलिए मामले पर सहानुभूति के आधार पर विचार किया जाए।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर

(राम किशोर)
मसालची/बेयरर
कैफेटेरिया, एम्स

तिथि 23.6.2008"

6. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा 23 जून, 2008 को लिखे पत्र में दिए गए बयान के आशय पर विचार करते हुए कहा कि प्रत्यर्थी ने चोरी के आरोप में अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है, बल्कि केवल यह कहा है कि 24 अप्रैल, 2008 को उसे एक अन्य कर्मचारी प्रेम सिंह ने ऑटो रिक्शा में सिलेंडर लोड करने के लिए कहा था। यह कहा गया कि ये सिलेंडर प्रेम सिंह के निर्देश पर उनके आवास (प्रेम सिंह के आवास) पर उतारे गए थे। अधिकरण ने यह भी उल्लेख किया है कि 24 अप्रैल, 2008 को जांच अधिकारी के समक्ष भी प्रत्यर्थी ने कहा था कि उसने बिना किसी चोरी करने के इरादे से केवल प्रेम सिंह के निर्देशों के अनुसार काम किया था।

7. यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि 23 जून, 2008 के उक्त पत्र के अलावा, जांच अधिकारी ने कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि जांच अधिकारी की सिफारिशें किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थीं और प्रत्यर्थी द्वारा भी आरोप स्वीकार नहीं किया गया था। अतः अधिकरण ने 5 अगस्त, 2008 की जांच रिपोर्ट, 15 नवम्बर, 2011 का अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश तथा 9 मई, 2012 का अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अपास्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई है कि यदि वह

उचित समझे तो वह नए सिरे से कार्यवाही कर सकता है तथा कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

8. याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई सामग्री नहीं बताई है जो हमें अधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाती हो। जांच अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था। इसलिए हमें रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं दिखता। रिट याचिका और आवेदन को खारिज किया जाता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता याचिकाकर्ता के पास ही रहेगी।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

21 फरवरी, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*